(1475)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान–भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ 40 भोपाल, दिनांक 18.06.012

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.......................जिला.......................(म0प्र0)

विषयः– कृषि उपज मण्डी समितियों को मण्डी प्रांगण के विकास हेतु बोर्ड से ऋण/अनुदान प्रदाय करने संबंधी नीति।

–0–

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में कृषकों एवं व्यापारियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मण्डी समितियों को ऋण/अनुदान देने के संबंध में 120वीं बैठक दिनांक 29.03.2012 में नई ऋण नीति अनुमोदित की गई है। मण्डी समितियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान नीति में कतिपय संशोधन वांछनीय है। अतः समग्र स्थित पर विचारोपरांत अब तक जारी किये समस्त परिपत्रों/निर्देशों (परिपत्र दिनांक 20.3.2003 को छोड़कर) को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार ऋण/अनुदान नीति निर्धारित की जाती है :–

1. मण्डी समितियों को अनुदानः

म0प्र0कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000 के नियम 8 (छ) में मण्डी समितियों को अनुदान की मंजूरी हेतु मापदण्ड तय किये गये हैं एवं उक्त नियम में अनुदान बोर्ड द्वारा उपनिर्दिष्ट/विनिश्चित की गयी प्रक्रिया के अनुसार देने का प्रावधान है। नियम के उपरोक्त प्रावधान के परिप्रक्ष्य में मण्डी समितियों को प्रांगण स्थापना, सेवा निवृत्ति के दायित्वों एवं अन्य प्रयोजन हेतु अनुदान के संबंध में निम्नांकित निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(1) **प्रथम बार स्थापित होने वाली मण्डी समिति प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थापना के लिये।**

म0प्र0कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 1977) की धारा 44 खण्ड (तीन (क) के प्रावधान अनुसार प्रथम बार स्थापित किये गये मण्डी प्रांगण या प्रथम बार स्थापित की गई उपमंडी हेतु बोर्ड द्वारा विहित की गई संरचना का सन्निर्माण करना एवं उससे संबंधित स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिये रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक या अनुमानित व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। यह अनुदान मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के प्रथम स्थापना से अधिकतम 6 माह की अवधि में ही स्वीकृत किया जावेगा। उक्त 06 माह की अवधि की गणना अभिन्यास स्वीकृत दिनांक से की जायेगी।

(2) **आर्थिक रूप से कमजोर मंडियों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी परिलाभों एवं सेवा कालीन अन्य स्वत्वों तथा मण्डी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तों के भुगतान के लिये ।**

(अ) उपरोक्त विषय में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 84वीं बैठक दिनांक 19.01.2003 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डी बोर्ड के परिपत्र

क्रमांक बी–3/2/ऋण/अनुदान/पेंशन/158, दिनांक 20.03.2003 के प्रावधान यथावत् प्रभावशील रहेंगें।

(2) उपरोक्त विषय में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 120वी बैठक दिनांक 29.03.2012 के प्रस्ताव क्रमांक–05 में लिये गये निर्णयानुसार बकाया वेतन मदों के संबंध में परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/18–19, दिनांक 25.05.2012 के प्रावधान यथावत् प्रभावशील रहेंगें।

(3) **ड्रेस कोड हेतु मण्डी समितियों को अनुदान।**

उपरोक्त विषय में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 100वी बैठक दिनांक 04.01.2006 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डी बोड के परिपत्र क्रमांक/बी–6/1–3/नि./05/ड्रे.को./359, दिनांक 08.03.2006 के प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगें।

(4) **मण्डी प्रांगण में कृषकों को भोजन के लिये अनुदान:**

उपरोक्त विषय में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के परिपत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/45/48/2388, दिनांक 31.03.2011 के प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगें।

(5) **वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु अनुदान।**

उपरोक्त विषय में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 02.09.2008 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डी बोर्ड के परिपत्र क्रमांक /बोर्ड/बो0नि0/1/74–75, दिनांक 23.01.2009 के प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगें।

2. **मण्डी समितियों को उधार :–**

म0प्र0कृषि उपज मण्डी(राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000 के नियम 8(सात) मण्डी समितियों को उधार की मंजरी के लिये पात्रता एवं अन्य शर्ते तय की गयी है। इन शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की जाती है :–

(1) जिन मण्डी समितियों पर पूर्व के स्वीकृत ऋण एवं ब्याज की राशि अतिदेय (ओव्हर ड्यू) है, उन्हे ओव्हर ड्यू ऋण किश्त एवं ब्याज की राशि चुकाने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति को संवर्गवार अधिकतम ऋण की पात्रता निम्नानुसार रहेगी–

मण्डी का संवर्ग	ऋण की पात्रता
क	250.00 लाख
ख	150.00 लाख
ग	100.00 लाख
घ	60.00 लाख
उपमण्डी (कियाशील)	40.00 लाख

स्वीकृत ऋण में से मण्डी को पूर्व में दिये गये ऋण राशि को कम करने के पश्चात् शेष राशि की सीमा तक मण्डी समिति को ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय करने, शासकीय भूमि की प्रब्याजी एवं भू–भाटक राशि के भुगतान हेतु वास्तविक राशि की सीमा तक 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

(4) सर्वप्रथम मण्डी समिति स्थायी निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर प्रांगण में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये करेगी। स्थायी निधि में राशि उपलब्ध न होने की दशा में ही मण्डी समिति को ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

(5) मण्डी समिति को कार्य विशेष के लिये स्वीकृत ऋण का मद परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। अन्य कार्य के लिये ऋण राशि का उपयोग करने पर 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित एकमुश्त राशि वसूल की जावेगी।

(6) मंडियों के प्रांगण विकास कार्यो हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व मंडियों से प्राप्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उपसंचालक(ऋण शाखा, बोर्ड मुख्यालय अधिकृत होंगें।

(7) मण्डी समितियों को, किसी भी कार्य के लिए उधार एकमुश्त उधार दिया जाएगा जो कि मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक खाते में रखा जाएगा और केवल विशिष्ट कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

(8) प्राप्त ऋण की राशि पृथक खाते में जमा की जायेगी। जमा की गई राशि का परिचालन सचिव एवं कार्यपालन यंत्री, आंचलिक कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षर से हो सकेगा।

(9) निर्माण कार्य से संबंधित चलित और अंतिम देयकों को कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा देयक प्राप्त होने पर भौतिक प्रगति के आधार पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अंकित किया जायेगा :–

"कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....के लिये मण्डी बोर्ड से कुल स्वीकृत ऋण राशि रू0..... से सम्पादित होने वाले कार्य की भौतिक स्थिति के आधार पर देयक कमांक.....दिनांक.....राशि रू0.....का सत्यापन किया गया। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के आधार पर राशि रू0.....पारित करने योग्य है।"

(10) ऋण स्वीकृति के प्रस्ताव को संभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री के माध्यम से उनके अभिमत/अनुशंसा सहित निम्नानुसार दर्शित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित बोर्ड मुख्यालय भेजा जावेगा :–

1. म0प्र0कृषि उपज मण्डी(मण्डी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथ अन्य विषय) नियम 1980 के नियम–63 (1) में निर्धारित प्रारूप 14 में जानकारी दी जावेगी। प्रारूप 14 के बिन्दु 1 में मण्डी समिति के नाम के साथ–साथ मण्डी को संवर्ग भी अंकित किया जावेगा।
2. मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति।
3. मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान में जिसमें प्रस्तावत निर्माण कार्य एवं पूर्व में उपलब्ध सुविधायें पृथक–पृथक रंगों में अंकित हो।
4. प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सत्यापित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें कार्यो के आकार–प्रकार अंकित हो।

5. शासन द्वारा मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण घोषित होने संबंधी अधिसूचना की प्रति।
6. यदि ऋण उपमण्डी प्रांगण के लिए हो तो उपमण्डी क्रियाशील है या नहीं। इस संबंध में उपमण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय–व्यय की जानकारी।
7. मण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय–व्यय एवं बचत की जानकारी।
8. मण्डी के पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध चालू निधि एवं स्थायी निधि की जानकारी।
9. पूर्व में प्राप्त तथा बकाया ऋण/ब्याज की जानकारी बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्षवार ।
10. बकाया बोर्ड शुल्क की जानकारी।
11. पूर्व में प्राप्त ऋण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यपालन यंत्री से सत्यापित।
12. कार्यपालन यंत्री का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र स्पष्ट अभिमत।
13. मण्डी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं? तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।
14. प्राप्त किये जाने वाले ऋण की पुर्नभुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र सचिव द्वारा प्रमाणित।

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम–2000 के प्रावधान समय–समय पर संशोधित रूप में यथावत् प्रभावशील रहेंगें। ये प्रावधान ज्ञापन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/41 भोपाल, दिनांक 18/06/2012

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) निज सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(3) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणनर बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(4) मुख्य अभियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणनर बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(5) संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समितियों के ऋण प्रस्ताव अग्रेषित करने के पूर्व मण्डी समिति की शेष ऋण पात्रता, पुर्नभुगतान क्षमता आदि का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट टीप तथा वांछित जानकारी सहित प्रस्ताव अग्रेषित करें, ताकि अनावश्यक पत्राचार न होंवे।
(6) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(7) संयुक्ता संचालक(बोर्ड बैठक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर पालन प्रतिवेदन प्रेषित है।
(8) लेखाधिकारी, लेखा शाखा/आडिट शाखा, म0प्र0राज्य कृषि विपण्न बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल